E-ISSN: 3048-6041 | Volume- 3, Issue- 2 | February 2026

घुमन्तु समुदाय के समक्ष उभरती सामाजिक आर्थिक चुनौतियां

डॉ. सुमित्रा शर्मा

सहायक आचार्य, समाजशास्त्र विभाग, मोहनलाल सुखड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर

सारांश

भारतीय समाज में विविध आधारों पर विभिन्नताएं देखी जा सकती है। एक और सभ्य समाज जिसे हम मुख्यधारा का समाज भी कह सकते हैं, वहीं दूसरी ओर पहाड़ों, जंगलों, वन क्षेत्रों में वह मुख्यधारा से दूर व दुर्गम स्थानों में रहने वाले समूह जिन्हें आदिवासी या जनजाति समाज/समुदाय कह सकते हैं। यहाँ एक ओर संस्थात्मक आधार पर जाति आधारित समाज है जो भेदभाव पर आधारित है, वहीं दूसरी ओर जाति व्यवस्था से परे कुछ अन्य समूह जो अपनी पृथक पहचान रखते हैं तथा एक स्थान पर स्थाई रूप से नहीं रहकर निरंतर एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं, घुमन्तू समुदाय कहलाते हैं। घुमन्तू अर्द्ध घुमन्तू तथा विमुक्त जनजाति भारतीय समाज का एक अभिन्न अंग है। अभिन्न एवं महत्वपूर्ण अंग होते हुए भी घुमन्तू समुदाय समाज का मात्र उपेक्षित भाग ही नहीं है वरन समाज का जटिल भाग भी है। यह समुदाय सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक व राजनीतिक आधारों पर पिछड़ा हुआ है। उनकी समस्याएं वस्तुतः वर्तमान से ही नहीं जुड़ी हुई है वरन इन समस्याओं की जड़ें इतिहास से भी गहन रूप में जुड़ी हुई है। वर्तमान में इंटरनेट के जमाने में सामाजिक व आर्थिक व्यवस्था में आ रहे परिवर्तनों व परिवर्तित होती हुई पारिस्थितकी के कारण घुमन्तू समुदायों के समक्ष कई प्रकार की सामाजिक आर्थिक चुनौतियां उत्पन्न हो रही है। यहाँ कुछ प्रश्न उभर कर आते है कि क्या वर्तमान में उभरते हुए नवीन आर्थिक प्रतिमानों के कारण घुमन्तू समुदायों के समक्ष आजीविका का संकट उपस्थित हो रहा है या इसके पीछे राजनीतिक कारक जिम्मेदार है? क्या आर्थिक संकट के कारण घुमन्तू समुदाय की सामाजिक प्रस्थिति प्रभावित हो रही है। क्या उचित व मजबूत नेतृत्व के अभाव में तथा कम वोट बैंक के कारण इनकी समस्याओं पर सही ढंग से विचार नहीं किया जा रहा है? प्रस्तुत प्रपत्र का प्रमुख उद्देश्य इन उभरते हुए प्रश्नों पर विचार करना तथा भारत में घुमन्तू समुदायों के समक्ष उत्पन्न होती सामाजिक आर्थिक चुनौतियों पर चर्चा करना है।

मुख्य शब्दः - घुमन्तू जनजाति, संस्कृति, सामाजिक प्रस्थिति, आर्थिक प्रस्थिति।

प्रस्तावना

घुमन्तू जनजातियां किसी एक स्थान पर स्थाई रूप से न रहकर आजीविका कमाने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर निरन्तर प्रवास करते रहते हैं और समय समय पर अपनी मूल स्थली पर आते रहते हैं। ये समूह अपने परम्परागत व्यवसायों को अपनाकर कठिन परिस्थितियों में भी संघर्षरत रहते हुए अपनी आजीविका कमाते हैं। पुरातन बाजार व्यवस्था पारस्परिकता के सामाजिक संबंधों पर आधारित थी। लेकिन वर्तमान में नवीन बाजार व्यवस्था का विकास हो रहा है। भौतिकवाद व पूंजीवाद के विस्तार के कारण उपभोग की संस्कृति में निरन्तर वृद्धि हो रही है। उपभोग की संस्कृति उत्पादन को बढ़ावा देती है जिससे बाजार व्यवस्था का विस्तार होता है। इस उभरती हुई नवीन आर्थिक व्यवस्था ने सभ्य समाज व घुमन्तू समाज के मध्य पारस्परिकता पर आधारित आर्थिक व सामाजिक संबंधों को संकट में डाल दिया।

*Corresponding Author Email: sumitrasharma1974@gmail.com
Published: 28 February 2026
DOI: https://doi.org/10.70558/SPIJSH.2026.v3.i2.45568
Copyright © 2026 The Author(s). This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0).

घुमन्तू समुदाय केवल भारत में ही नही वरन् विश्व के प्रत्येक क्षेत्र में विद्यमान हैं। भारत में कुल जनसंख्या का 10 प्रतिशत जनसंख्या घुमन्तू, अर्द्ध घुमन्तू व विमुक्त जनजातियों की जनसंख्या है। इनमें 1500 घुमन्तू व अर्द्ध घुमन्तू तथा 198 विमुक्त जनजातियां है। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में घुमन्तू समुदायों की जनसंख्या कुल जनसंख्या का 8 प्रतिशत है जो लगभग 55 लाख है। राजस्थान में 32 घुमन्तू, अर्द्ध घुमन्तू व विमुक्त जनजातियां हैं। जिनमें भोपा, बावरिया, कालबेलिया, नट, बंजारा, रेबारी आदि आते हैं। वैसे तो ये घुमन्तू जनातियां पूरे भारत मे फैली हुई हैं जिन्हें अलग- अलग राज्यों में अलग नामों से जाना जाता है किंतु राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, मध्य-प्रदेश, गुजरात और उत्तर प्रेदेश राज्य में इनकी बहुलता है। इन समुदायों की जनसंख्या 10 से 11 करोड़ के बीच आंकी गई है।

घुमन्तू समुदाय एवं साहित्यिक विश्लेषण

कई घुमन्तू समुदाय स्वयं को अनादि काल से ही अस्तित्व में मानते हैं, वहीं कुछ अपना संबंध विशिष्ट ऐतिहासिक घटनाओं के साथ में जोड़ते हैं, जैसे गाड़िया लोहार। गाड़िया लोहार स्वयं को राजशाही लोहार मानते हैं, व राणा प्रताप के हल्दीघाटी युद्ध से स्वयं को जोड़ते हैं और राणा प्रताप की प्रतिज्ञा से स्वयं को संबंधित करते हैं। बंजारा समुदाय, मुगल व राजपूत सेनाओं के सामान लाने ले जाने वाले वह आवास उपलब्ध कराने वाले थे। अंग्रेजों द्वारा भूमि बंदोबस्त व प्रशासनिक पुनर्गठन द्वारा विस्थापन की प्रक्रिया को तेज किया गया। यह भी एक कारण था कि इनमें से कुछ समुदाय ने अपराध करना प्रारंभ कर दिया। यहाँ प्रश्न उठता है कि घुमन्तू समुदाय की वर्तमान स्थिति को प्रारूप देने में इतिहास की भूमिका का निर्धारण किस प्रकार से किया जा सकता है, विशिष्ट रूप से आर्थिक, सांस्कृतिक और वैचारिकी के आधार पर?

श्रीवास्तव (1997) ने राजस्थान के अर्द्ध घुमन्तू समुदाय रायका जनजाति का अध्ययन किया है। इन्होने अपने अध्ययन में घुमन्तू व अर्द्ध घुमन्तू जनजातियों के जीवन, संस्कृति, धार्मिक व्यवहार सामाजिक जीवन आदि पर अपना बौद्धिक पक्ष रखा। रायका जनजाति पशुपालक व चारावाह के माध्यम से अपनी आजीविका कमाते हैं। उनका पर्यावरण व पारिस्थितिकी के साथ गहरा संबंध है। घुमन्तू अवस्था में यह जनजाति अपने सामाजिक व्यवहारों व धार्मिक आस्थाओं का आदर्शात्मक व व्यवहारात्मक स्तर पर कैसे अस्तित्व बनाये रखती है यह महत्वपूर्ण है।

बोकिल (1999) के अनुसार प्रत्येक डीएनटी (De-Notified Tribe) समुदाय एक अंतःविवाही समूह है, यद्यपि इन्हें जनजाति कहा जाता है। ग्रामीण समाज में सभी व्यापारिक उद्देश्यों के लिए इन्हें जाति के रूप में माना जाता है। अतः इन्हें अछूत नहीं माना जाता, लेकिन सामाजिक पदानुक्रम में सबसे निचले स्तर पर इन्हें रखा गया है। इस संदर्भ में इस जनजाति के साथ सह भोजन व अंतःविवाह पर प्रतिबंध भी लगाया गया है।

व्यास (2016) ने बंजारा समुदाय का अध्ययन किया है। बंजारा भारत का एक वृहद् घुमन्तू समुदाय है। व्यास का मत है कि बंजारा समुदाय बैलगाड़ी द्वारा व्यापार करता है एवं सभ्य समाज के साथ संबद्ध रहता है। इस समुदाय की आजीविका प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर है लेकिन वर्तमान में पर्यावरण समस्या व तीव्र गति से हो रहे जंगलो के क्षरण के कारण उनकी आजीविका अब खतरे में है। अतः इस समुदाय के लोग व्यसन करने लगे हैं व आपराधिक गतिविधियों की ओर प्रवृत्त हो रहे हैं। व्यास का मत है कि इनके प्रबंधन के लिये सरकार द्वारा उचित कदम उठाया जाना चाहिये।

घुमंतु समुदायः आर्थिक चुनौतियां

घुमन्तू समुदायों की आजीविका प्रकृतिक संसाधनों पर निर्भर रहती है, लेकिन वर्तमान में इन संसाधनों के उपयोग के संदर्भ में कई प्रकार के कानून बन गए है। अतः इन समुदायों के समक्ष आर्थिक चुनौती उपस्थित हो गया है। भारत सरकार ने 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पारित किया जिसके बाद सांप पकड़ने, भालू और बंदर का

खेल दिखाने तथा जोंक रखने पर रोक लगा दी गई। जंगल की बाड़ बंधी कर दी गई और जंगल के अंदर प्रवेश करने पर रोक लग गई। मेडिकल प्रैक्टिशनर अधिनियम, क्लीनिकल एस्टेब्लिशमेंट कानून, ड्रग एंड कॉस्मेटिक कानून और अन्य कानूनों द्वारा इनके जड़ी बूटियों के प्रयोग तथा चिकित्सा के इनके परंपरागत तरीकों को अवैध घोषित कर दिया गया। 1982 में नट समुदायों के परम्परागत व्यवसाय रस्सी पर करतब दिखलाने पर रोक लगा दी गई। 1995 में बंजारों को नमक बेचने से रोक दिया गया (शर्मा, 2020)

आजीविका के संदर्भ में घुमन्तू लोग विभिन्न प्रकार की गतिविधियों के आधार से अपनी आजीविका कमाते है। उन्हें चार श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता हैः -

1. वे समुदाय जो चारावाह या शिकार के द्वारा अपनी आजीविका कमाते हैं। जैसे बावरिया समूह।
2. वे समुदाय जो माल और सेवा प्रदान करने का कार्य करते हैं और सभ्य समाज के संपर्क में रहते हैं। जैसे गाड़िया लोहार और बंजारा।
3. मनोरंजन के साधनों द्वारा आजीविका कमाने वाले समूह, जो ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर ग्रामीणों का मनोरंजन करते हैं। जैसे बाजीगर, सपेरा आदि।
4. वे समुदाय जो धार्मिक प्रस्तुतियां देने और वंशावली वाचन के द्वारा अपने आजीविका कमाते हैं। जैसे भाट व नाथ संप्रदाय।

घुमन्तू समुदायों को आजीविका के संदर्भ में स्थाई समुदायों के साथ प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती है और ऐसी स्थिति में उनकी स्थिती निराशाजनक होती है। क्योंकि स्थाई समुदाय आधुनिकीकृत संसाधनों से युक्त होते हैं व उनके उत्पादों में मांग के अनुसार विविधता भी होती है जबकि मुख्यधारा व सभ्य समाज से पृथक होने के कारण घुमन्तू समुदाय की आधुनिकीकृत संसाधनों तक पहुँच नहीं हो पाती क्योंकि घुमन्तू समुदाय आर्थिक उपार्जन में पारिस्थितिकी संगठन का अनुसरण करते हैं।

यद्यपि घुमन्तू समुदाय विविध प्रकार की आर्थिक गतिविधियों में व्यस्त रहते हैं, लेकिन वर्तमान में उनकी आजीविका विकास की आधुनिक प्रक्रियाओं से बुरी तरह से प्रभावित हुई है। विकास के साधन मशीनीकरण, नगरीकरण, व्यवसायीकरण, संरचनात्मक विकास और यातायात के साधनों में वृद्धि, सामाजिक और स्थानिक गतिशीलता में बढ़ोतरी और कृषि अर्थव्यवस्था से औद्योगिक अर्थव्यवस्था में रूपांतरण आदि के परिणामस्वरूप अधिकांश घुमन्तू समुदायों की आजीविका के साधन समाप्त हो गए हैं, और अब वे वैकल्पिक व्यवस्थाओं की ओर बढ़ चले हैं।

वर्तमान आर्थिक व्यवस्था में वस्तुओ और सेवाओं के मशीनीकरण और औद्योगीकरण के कारण उत्पादन की विधि में जिस प्रकार से वृद्धि हुई है, उससे घुमन्तू समुदाय की सेवाएं और उनकी आजीविका व आजीविका के साधन भी प्रभावित हुए हैं। औद्योगीकरण के कारण वस्तुओं का बड़े पैमाने पर उत्पादन और ग्रामीण बाजारों में उनका व्यापक वितरण अभूतपूर्व पैमाने पर हुआ है। जिससे ढांचागत विकास विशिष्ट रूप से सड़कों का निर्माण ऑटोमोबाइल क्षेत्र में लगातार वृद्धि, यातायात और संचार के साधन आदि प्रमुख है, जिनसे घुमन्तू जनजातियों का व्यवसाय प्रभावित हुआ है। विदेशी सामानों की उपलब्धता से स्थिति और अधिक बिगड़ी है।

वे घुमन्तू समुदाय जो मनोरंजन के द्वारा अपनी आजीविका कमाते थे आधुनिक मनोरंजन के साधनों के प्रसार के कारण उन्हें नुकसान उठाना पड़ रहा है। विशेष रूप से टेलीविजन, इंटरनेट, मोबाइल व कंप्यूटर से उनकी आजीविका पर संकट और भी बढ़ गया है क्योंकि इन आधुनिकीकृत मनोरंजन के साधनों से मनोरंजन के कई प्रकार के विकल्प उपलब्ध होते हैं जिनके आधार पर विभिन्न प्रकार के रोमांचकारी मनोरंजन होता है इनकी तुलना में घुमन्तू समुदायों द्वारा प्रदर्शित किये जाने वाले मनोरंजनात्मक क्रियाएं जैसे पारंपरिक नृत्य, नाटक, जादू आदि रोमांच प्रदान नहीं कर पाते। वहीं दूसरी ओर सपेरा और भालू पालकों को बलपूर्वक उनके व्यवसाय से बाहर धकेला जा रहा है। वन्यजीवों पर विचार और संरक्षण और उसके बाद उनके कानूनी प्रतिबंध के द्वारा उनका व्यवसाय छीना जा रहा है।

बदलती व विकट होती परिस्थितियों के कारण घुमन्तू जनजातियों की नई पीढी के लोगों में अपने परम्परागत व्यवसायों के प्रति दृष्टिकोण में परिवर्तन आ रहा है। नई पीढी के लोग अपनी परम्परागत आजीविका के साधनों को अपनाने की अपेक्षा आजीविका के अन्य विकल्पों अपना रहें हैं। वे कृषि व निर्माण कार्यों में मजदूर के रूप में कार्य करते है व रिसोर्ट में मजदूरी पर कार्य करते हैं, होटल व रेस्टोरेंट व अन्य स्थान जो शहर में स्थित होते हुए ग्रामीण संस्कृति का प्रर्दशन करते है जैसे आपणी ढाणी, चोखी ढाणी आदि में अपनी परम्परागत कला का प्रदर्शन कर अपनी आजीविका कमाते है।

घुमन्तू समुदाय एवं सामाजिक चुनौतियां

किसी भी समाज की सामाजिक व आर्थिक गतिशीलता के आधार हमेशा स्थाई नहीं होते वरन इन आधारों में परिवर्तन होते रहते हैं और इन्हीं आधारों पर समाज की सामाजिक संरचना व इस संरचना की विभिन्न ईकाईयां भी प्रभावित होती हैं। भारतीय समाज की संरचना में जाति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, घुमन्तू व अर्द्ध घुमन्तू जनजाति व विमुक्त जनजाति (De-Notified Tribe) महत्वपूर्ण है। ये सभी समूह सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक आधार पर पृथक पहचान रखते हुए भी पारस्परिकता के संबंधों में बंधे हुए है। जनजातीय समाज के विपरीत घुमन्तू व अर्द्ध घुमन्तू जनजाति व विमुक्त जनजाति समूह प्राचीन काल से ही ग्रामीण व नगरीय समाज से सामाजिक, आर्थिक व सांस्कृतिक आधार पर प्रत्यक्षतः जुड़े हुए हैं व ऐतिहासिक आधार पर इन समुदायों का सभ्य समाजों के साथ सम्पर्क के प्रमाण भी उपलब्ध है।

घुमन्तू समुदाय मुख्य रूप से पितृसत्तात्मकता पर आधारित है, जिसमें परिवार के मुखिया का निर्धारण आयु के आधार पर किया जाता है। घुमन्तू समुदाय में महिलाओं के प्रस्थिति सबसे निम्न होती हैं व इन पर कई प्रकार के प्रतिबंध लगाए जाते हैं। घुमन्तू समुदाय की जाति व जनजाति परिषद बहुत सुदृढ़ होती है। इस जाति परिषद में घरेलू व सामाजिक जीवन से जुड़े सभी मुद्दों पर फैसले लिए जाते हैं। वर्तमान में उनकी इस परम्परागत न्याय व्यवस्था में आधुनिकता का दखल हो चुका है। यह आधुनिकीकरण का प्रभाव ही है कि वर्तमान में इस समाज में निरपेक्ष संस्थाओं जैसे पुलिस और न्यायपालिका के संदर्भ में जागरूकता आ रही है और सामाजिक आर्थिक व अपराध से जुड़े मुद्दे अब न्यायालय तक भी जाने लगे हैं।

घुमन्तू जनजातियां, खानाबदोश होते हुए भी ग्रामीण समाज के साथ उत्पादन संबंध रखती थी। यद्यपि घुमन्तू समुदाय जजमानी प्रथा व बलुतेदारी व्यवस्था का हिस्सा नहीं थे, लेकिन ग्रामीण समाज को सामान व सेवाएं प्रदान कराने में इनकी महत्वपूर्ण भुमिका थीं। कारीगरों व शिल्पकारों के काम में आने वाली वस्तुएं उपलब्ध कराते थे जैसे मोती, हल्के गहने, इत्र, तलवार, दवाइयां आदि जो बिल्कुल असाधारण व विदेशी होते थे और आम लोगों को आसानी से उपलब्ध नहीं हो पाती थे। विनिमय के ये संबंध जो पीढ़ियों तक कायम रहे वर्तमान में इन व्यवस्थाओं का पतन हो रहा है और घुमन्तू समुदाय वैकल्पिक विषयों की ओर स्थानांतरित हो रहे हैं।

घुमन्तू जनजातियों के लोग वर्तमान में स्थायी रूप से बसने लग गए हैं। घुमन्तू जनजातियों के जो लगभग एक लाख लोग स्थायी रूप से बस चुके हैं और इस समुदाय में ये ही लोग सबसे ज्यादा अधिकार-संपन्न भी अब हो गए हैं जिसके परिणामस्वरूप इनमें स्तरीकरण देखा जा सकता है। इन लोगों के मतदाता पहचान पत्र से लेकर राशन कार्ड तक बन चुके हैं, जिसके चलते ये उस उत्पीड़न का शिकार नहीं होते जो इस जनजाति के अन्य लोगों को झेलना पड़ता है। जबकि वे लोग जो पारंपरिक रूप से अभी भी घुमन्तू है उनके पास न तो भूमि का अधिकार है और न हीं घर का मालिकाना हक। इसी का परिणाम है कि वर्तमान में भी यह समुदाय न केवल कल्याणकारी कार्यक्रमों से मिलने वाले लाभों से वंचित है वरन् अधिकारों से भी कोसों दूर है।

घुमन्तू जनजाति के अधिकतर लोगों के खिलाफ पुलिस दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 42 का इस्तेमाल करती है और इन्हें आसानी से गिरफ्तार कर लेती है. यह धारा पुलिस को ऐसे किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने का अधिकार

देती है जो अपनी सही पहचान या स्थायी पते का प्रमाण न दे सके। चूंकि घुमन्तू जनजाति के अधिकतर लोगों का कोई स्थायी ठिकाना ही नहीं है अतः वे पुलिस का सबसे आसान शिकार बनते हैं। पुलिस इन लोगों से डेरा डालकर रहने की भी प्रतिदिन वसूली करती है और मौका पड़ने इन्हें 'आपराधिक जनजाति' का मानकर गिरफ्तार भी कर लेती हैं। पारंपरिक व्यवसाय ध्वस्त हो जाने, समाज से तिरस्कृत होने, व्यवस्था का लगातार शिकार होने और पुनर्वास का कोई मौका न मिलने के कारण आज कई घुमन्तू जनजातियों की महिलाएं वेश्यावृत्ति करने को मजबूर हो चुकी हैं।

घुमन्तू समुदाय अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति की तरह संवैधानिक अनुसूची में सम्मिलित नहीं है। इन समुदायों के अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति में सम्मिलित करने व पृथक रखने के संदर्भ में अलग अलग राज्यों में पृथक पृथक नीतियां अपनायी गई है। पूरे देश में इनके संदर्भ में एकरूपता नहीं है जैसे बंजारा समुदाय महाराष्ट्र में वीजेएनटी (Vimukta Jati and Nomadic Tribes) में सम्मिलित है तो राजस्थान में अनुसूचित जाति समुदाय में सम्मिलित किए जाते हैं। यही कारण है कि कुछ राज्यों में इनमें से कुछ की गिनती अनुसूचित जाति में की जाती है तो कुछ राज्यों में इन्हें अनुसूचित जनजाति में सम्मिलित किया जाता है। यहां पर भी त्रासदी यह है कि इस संदर्भ में सभी घुमन्तू, अर्द्ध घुमन्तू व विमुक्त समुदायों के साथ समान नीति नहीं अपनायी जाती (बोकिल, मिलिन्द,2002)

इन समाजों के पास सृजित ज्ञान की अथाह पूँजी है क्योंकि इनका ज्ञान समाज की जरूरत और प्रक्रिया से निकला है, जो धीरे- धीरे समाप्ति की ओर बढ़ रहा है । ये ज्ञान उनकी संस्कृति का हिस्सा है, उनकी सांस्कृतिक विरासत है, जो सम्पूर्ण समाज के लिए उपयोगी है। लेकिन आज उनकी यह सांस्कृतिक विरासत खतरे में है, जिसे बचाने के लिए सरकार के स्तर पर साथ ही समाज के स्तर पर भी प्रयास अति आवश्यक है, जिससे कि इनके परम्परागत ज्ञान को संचित व सुरक्षित रख जा सके।

निष्कर्ष

घुमन्तू, अर्ध घुमन्तू तथा विमुक्त समुदाय राजनीतिक व सामाजिक दोनों स्तरों पर ही अन्याय से पीड़ित रहे हैं लेकिन वर्तमान में भी इन दोनों स्तरों पर ही इन समुदायों की समस्याओं का पर्याप्त व उचित समाधान नहीं किया गया। वर्तमान में घुमन्तू समुदाय की समस्याओं पर उनके स्वयं के स्तर पर ही नहीं वरन सभ्य समाज के नागरिकों के द्वारा भी विचार करने की आवश्यकता है कि उन्हें समाज की मुख्यधारा से कैसे जोड़ा जाए एवं सभ्य समाज में उनकी सहभागिता को कैसे सुनिश्चित किया जाए? यद्यपि घुमन्तू जनजातियां एक समृद्ध संस्कृति व समाज का निर्माण करती हैं। इन समुदायों पर वर्तमान में जरूर अध्ययन प्रारंभ हुए हैं लेकिन पूर्व में जो भी अध्ययन किए गए वे सभी ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा व मानव शास्त्रियों के द्वारा कराए गए। ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा स्वदेशी समुदायों पर दस्तावेज तैयार किए गए लेकिन उन्हें वर्तमान में अद्यतन करने व उनमें सुधार करने की आवश्यकता है। वस्तुतः औपनिवेशिक शासन द्वारा इन घुमन्तू समुदायों को पहुंचाए गए नुकसानों की भरपाई करने की आवश्यकता है। सरकार के स्तर पर साथ ही सामुदायिक स्तर पर भी इस प्रकार के अभियान चलाने की आवश्यकता है जिससे कि ये समुदाय मुख्यधारा के साथ जुड़ सके और सभी संवैघानिक प्रावधनों का लाभ उठा सके। अपने अस्तित्व को सुनिश्चित कर सके।

संदर्भ

1. बोकिल, मिलिन्द (2002)। 'डी नोटिफाइड एंड नोमेडिक ट्राइब्सः ए पर्सपेक्टिव', इकोनॉमिक पोलिटिकल वीकली, अंक-37, न.-2, पेज नं.- 148-154।
2. दुर्खीम, इमाईल (1893)। 'द डिविजन आॅफ लेबर इन सोसायटी' फ्री प्रेस, न्यूयोर्क।

3. दत्त, बहार (2004)। 'लाइवलीहुड स्ट्रेटजीज् ऑफ ए नोमेडिक हंटिंग कम्युनिटी ऑफ इस्टर्न राजस्थान', नोमेडिक पीपल, अंक-8, नं.- 2, पेज नं.- 260-273।
4. सदानंदम्, पी. (2008)। 'आर्ट एंड कल्चर ऑफ मार्जिनलाइज्ड नोमेडिक ट्राइब्स् इन आंध्र प्रदेश', ज्ञान पब्लिशिग हाउस, नई दिल्ली।
5. शर्मा, अश्विनी (2020)। 'घुमन्तू समाज से सरकारी विश्वासघात के 70 साल', द कारवांः ए जर्नल ऑफ पालिटिक्स एंड कल्चर। https://caravanmagazine.in/communities/nomadic-tribes-of-india-how-governments-failed-nomadic-communities. Visit on 5th January 2026.
6. श्रीवास्तव, विनय कुमार (2019)। 'इण्डियाज् ट्राइब्स्ः द अनफोल्डिंग रियलिटिज्', सेज़ पब्लिकेशंस्, नई दिल्ली।
7. रेणके, बालकृष्ण सिदराम (2008)।' नेशनल कमीशन फॉर डी नोटिफाइड, नोमेडिक एंड सेमी नोमेडिक ट्राइब्स रिपोर्ट', अंक-1, मिनिस्टरी ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, गर्वमेंट ऑफ इण्डिया, पेज न.- 8-20।
8. व्यास, एन. एन.(2016)। 'नोमेडिक लाइफ एंड ट्राइबल कल्चर' हिमांशु पब्लिकेशंस्, उदयपुर।